न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 129 / 2013

उनवान

1. गोरधन पिता भागु दरोगा, निवसी पीथास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. भँवर लाल पिता काना गोदपुत्र भैरू दरोगा निवासी पीथास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. श्रीमती चांदी विधवा रामचन्द्र दरोगा निवासी पीथास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. श्रीमती भागुती पत्नी गोपाल दरोगा निवासी पीथास हाल मुकाम मालोला तहसील व जिला भीलवाडा
4. सोनू पिता स्व0 गोपाल दरोगा आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता भागुती पत्नी स्व0 गोपाल दरागा निवासी पीथास हाल मुकाम मालोला तहसील व जिला भीलवाडा
5. सुरज पिता गोपाल दरोगा आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता भागुती पत्नी स्व0 गोपाल दरागा निवासी पीथास हाल मुकाम मालोला तहसील व जिला भीलवाडा
6. रेणु पुत्री गोपाल दरोगा आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता भागुती पत्नी स्व0 गोपाल दरागा निवासी पीथास हाल मुकाम मालोला तहसील व जिला भीलवाडा
7. शम्भू पिता रामचन्द्र दरोगा निवासी पीथास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
8. सत्यनारायण पिता काना दरोगा निवासी पीथास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
9. लादु पिता छगना दरोगा निवासी पीथास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के
प्रकरण संख्या 141/97 दिनांक 19.3.2001 एवं संशोधित
निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.9.2005 प्रकरण संख्या 102/2005

अभिभाषक : 1. श्री एम एल सेन , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री ओम प्रकाश पटवारी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1,2,7,8,9
3. प्रत्यर्थी संख्या 3 व 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 9.5.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है:-

रूपा

छगना | रामा (लाऔलाद फौत) | हरलाल (लाऔलाद फौत) | भागू | भैरू (फौत)

छगना → रामचन्द्र | काना | लादू

भैरू → भँवर गोदपुत्र

रामचन्द्र → मु0 चान्दी बेवा (प्रति0सं01) | गोपाल (प्रति0सं02) | शम्भू (प्रति0सं03)

2. मौजा पीथास के राजस्व अभिलेख में निम्नांकित आराजियात स्थित है जो वर्तमान रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम पर 1/2 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 6 के नाम पर 1/2 हिस्से से गलत ढंग से जरिये इंतकाल संख्या 871 दिनांक 10.5.93 के जरिये दर्ज कर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिया गया है। चालू जमाबंदी वर्तमान खाता संख्या 316 में आराजियात निम्न है :–

आराजी नम्बर	रकबा	
	बीघा	बिस्वा
1461	0	18 बिस्वा
1462	0	17 बिस्वा
1463	0	18 बिस्वा
1464	0	15 बिस्वा
1465	0	10 बिस्वा
1466	0	11 बिस्वा
1467	1 बीघा	13 बिस्वा
1468	1 बीघा	13 बिस्वा
1855	0	19 बिस्वा
कुल किता 9	8 बीघा	14 बिस्वा

3. वर्तमान चालू जमाबंदी के खाता संख्या 339 में दर्ज आराजियात निम्न है :–

आराजी नम्बर	रकबा	
	बीघा	बिस्वा
1533	0	2 बिस्वा आ0चाह
1534	2 बीघा	15 बिस्वा
1535	2 बीघा	10 बिस्वा
1536	0	4 बिस्वा
1537	1 बीघा	6 बिस्वा

कुल किता 5 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपरोक्त वर्णित आराजियात में इन्तकाल संख्या 871 की फर्द में सजरा दर्शाकर स्वर्गीय भैरू को लाऔलाद होना बताकर प्रतिवादीगण ने रेवेन्यू एजेन्सी के मार्फत दिनांक 10.5.1997 को स्व0 भैरू की विरासत से वादी जबकि स्वर्गीय भैरू का गोदपुत्र है इस तथ्य को छिपाते हुए वादी के 1/3 हिस्से की आराजियात को प्रतिवादीगण ने अपने नाम इन्द्राज करवा लिया जो कि वादी के मुकाबले उक्त अंकन दोषपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण है। जिसे दुरूस्त कराने एवं उसका विभाजन कराने का वादी को अधिकार है।

4. मौजा पीथास तहसील माण्डल में उक्त आराजियात स्थित है जो स्व0 रूपा की मृत्यु के उपरान्त उसके पांचों पुत्रों के नाम पर राजस्व रेकार्ड में सयुक्त रूप से खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड रही । स्व0 रूपा के पुत्र रामा व हरलाल लाऔलाद फौत हो गये। इसलिए उनके हिस्से की आराजियात शेष रहे तीनों भाईयों छगना, भागू व भैरू में निहित हो गई। इस तरह शेष रहे प्रत्येक तीनों भाईयों का 1/3 हिस्सा रहा और उसी मुताबिक कब्जा चला आ रहा है। वादी को स्व0 भैरू ने अपने जीवनकाल में ही गोद ले लिया । जिसका रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 29.10.1991 को पंजीबद्ध करा दिया गया । इसलिए स्व0 भैरू का वादी गोद पुत्र होने से उसके 1/3 हिस्से की भूमि पर वारिस होने से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है।

5. वाद पत्र के पेरा नम्बर 2 में अंकित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित कर दिया है। वादी चूंकि स्व0 भैरू का गोदपुत्र है एवं स्व0 भैरू ने अपने जीवनकाल में ही वादी को रजिस्टर्ड गोदनामे से अपना पुत्र घोषित कर दिया था। अतः वादग्रस्त आराजियात में वादी 1/3 हक हिस्से का अधिकारी है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

इसलिए राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज को हटाया जाकर दुरूस्ती कराने व 1/3 हिस्से से विभाजन कराने का अधिकारी है । अतः वाद पत्र के पेरा नम्बर 2 में वर्णित आराजियात में से 1/3 हिस्से का वादी को स्व0 भैरू का गोद पुत्र होने से वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा कराते हुए बाद विभाजन वादी का अलग खाता राजस्व रेकार्ड में कायम कराया जावे एवं वाद के अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रदान की जावे कि वादी के 1/3 हिस्से की आराजियात में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी नहीं करें एवं न किसी करावें।

6. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.3.2001 द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया गया । बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 24.5.2001 को फाईनल डिक्री पारित की गई। जिसमें राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने एवं वादी द्वारा नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर डिक्री पारित किये जाने का आदेश पारित किया । जिस पर वादी/प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.7.2005 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 150 व्य0प्र0संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित करते समय स्टाम्प ड्यूटी राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 के तहत जहॉ जोत का विभाजन आपसी करार से तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत होता है वहॉ स्टाम्प ड्यूटी देय होती है। इसलिए अंतिम डिक्री में स्टॉप ड्यूटी की शर्त को हटाकर अंतिम संशोधित डिक्री जारी की जावे। इस पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संशोधित डिक्री दिनांक 20.9.2005 को पारित की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

8. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्तअनवान प्रकरण में प्रार्थी अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था क्योंकि दिनांक 19.3.2001 एवं दिनांक 20.9.2005 को अपीलार्थी प्रार्थी के पिता भागु जी उस समय उक्त अनवान प्रकरण में पक्षकार थे । उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का विरासत से नामान्तरकरण प्रार्थी अपीलार्थी के पक्ष में खुला । जिससे अपीलार्थी का उक्त निर्णय से हित प्रभावित होता है। जिससे यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान कराई जावे।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री तथा संशोधित डिक्री पारिज किये जाने की जानकारी यथासमय अपीलार्थी को नहीं हो सकी । अपीलार्थी को हाल ही में दिनांक 4.6.2013 को अपीलाधीन निर्णय एवं संशोधित डिक्री की जानकारी हुई। जिस पर निर्णय की नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाकर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि रूपा जी के पांच पुत्र छगना, हरलाल, रामा, भागु व भैरू हुए । जिसमें से हर लाल, रामा एवं भैरू लाऔलाद फौत हुए थे। भैरू जी ने प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी को कभी गोद नहीं लिया था। भैरू पिता रूपा से वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 भॅवर लाल ने धोखा व छल–कपट के जरिये गोदनामे की लिखापढी कराई थी। लेकिन बाद में समाज के मौतबिर व्यक्तियों द्वारा यह फैसला किया कि भैरू के हिस्से की भूमि पर 1/2 हिस्से का मालिक गोरधन पिता भागु होगा व शेष 1/2 हिस्से का मालिक भॅवर लाल होगा। जिसका समझौता इकरार गांव व समाज के मौतबिर व्यक्तियों द्वारा दिनांक 13.3.93 को निष्पादित किया गया । जिससे भैरू पिता रूपा का हिस्सा जरिये विरासत के नामान्तरकरण से सभी भाईयों के नाम पर समान हक व हिस्से से दर्ज किया गया किन्तु फिर भी प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी की नियत में फितुर पैदा हो गया व गलत तथ्यों को आधार बनाकर वाद प्रस्तुत किया गया व गलत व फर्जी तामिलें करवा कर एकपक्षीय कार्यवाही करवा प्रकरण में एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित करवा ली । जबकि स्वंय भॅवर लाल वादी ने भैरू के गोदनामा को निरस्त मानते हुए भैरू पिता रूपा की भूमि में सभी भाईयां का बराबर हक व हिस्सा रखना स्वीकार किया । इसी आधार पर भैरू का हक व हिस्सा सभी वारिसान के समान रूप से रेकार्ड में दर्ज हुआ । फिर भी गलत रूप से एकपक्षीय निर्णय व डिक्री प्राप्त की व प्राथमिक निर्णय व डिक्री के आधार पर विभाजन प्रस्ताव मंगाया जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो सम्मन/नोटिस जारी किये गये हैं । उनकी प्रोपर तामिल प्रतिवादीगण पर नहीं हुई थी। नोटिस की तामिल फर्जी अगूठा निशानी लगाकर कराई गई है। चूंकि तामिल कुनिन्दा द्वारा तामीलें फर्जी करवाकर प्रस्तुत कर दी जिसे भागु पिता रूपा की तामिल कराई उसमें सम्मन जो जारी हुआ उसमें मांगु पिता रूपा अंकित कर जारी किया गया व तामिल जो कराई गई उसमें भागु की अंगुठा निशानी नहीं होकर किसी मांगु की अंगुठा निशानी लगा दी । इसलिए भागु को उक्त वाद पत्र के नोटिस की कोई जानकारी नहीं हुई। व प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही कर दी गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की भी तामिल नहीं कराई गई। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जो सम्मन भेजा गया जिसमें रिपोर्ट आई कि प्रतिवादी ग्राम पीथास में नहीं रह कर ग्राम पांसल में निवास कर रहे हैं इसलिए तामील पांसल भिजवाई जावे । किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के सम्मन ग्राम पांसल में तामिल हेतु नहीं भेजे गये। वादी ने मिलीभगत कर किसी अधिवक्ता से अण्डर टेकिंग दिला दी व अगली तारीख पेशीयों पर अधिवक्ता द्वारा न तो अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया व न ही उपस्थिति दी । जिससे एकपक्षीय कार्यवाही करक दी गई। चूंकि प्रतिवादीगण की प्रोपर तामिल नहीं कराई गई। इसएिल एकपक्षीय आदेश पारित किया गया जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

12. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सी पी सी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

13. अधिवक्ता प्रत्यर्थी का निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या1/वादी भैरू आत्मज रूपा का गोद पुत्र है। भैरू आत्मज रूपा ने रजिस्टर्ड गोदनामा प्रत्यर्थी/वादी के पक्ष में निष्पादित कराया है। वादग्रस्त आराजियात में भैरू के हक हिस्से अनुसार 1/3 भू भाग पर प्रत्यर्थी संख्या1/वादी का भैरू आत्मज रूपा की मृत्यु के बाद लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

14. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया था। बाद सूचना अनुपस्थित रहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की तामिल के बाद उनकी ओर से अधिवक्ता द्वारा अण्डर टेंकिंग प्रस्तुत की गई। उसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

15. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या /वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्व0 रूपा की मृत्यु के उपरान्त उसके पांचों पुत्रों के नाम पर राजस्व रेकार्ड में सयुक्त रूप से खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड रही । स्व0 रूपा के पुत्र रामा व हरलाल लाऔलाद फौत हो गये। इसलिए उनके हिस्से की आराजियात शेष रहे तीनों भाईयों छगना, भागू व भैरू में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निहित हो गई। इस तरह शेष रहे प्रत्येक तीनों भाईयों का 1/3 हिस्सा रहा और उसी मुताबिक कब्जा चला आ रहा है। वादी को स्व0 भैरू ने अपने जीवनकाल में ही गोद ले लिया । जिसका रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 29.10.1991 को पंजीबद्ध करा दिया गया । इसलिए स्व0 भैरू का वादी गोद पुत्र होने से उसके 1/3 हिस्से की भूमि पर वारिस होने से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है।

16. वाद पत्र के पेरा नम्बर 2 में अंकित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित कर दिया है। वादी चूंकि स्व0 भैरू का गोदपुत्र है एवं स्व0 भैरू ने अपने जीवनकाल में ही वादी को रजिस्टर्ड गोदनामे से अपना पुत्र घोषित कर दिया था। अतः वादग्रस्त आराजियात में वादी 1/3 हक हिस्से का अधिकारी है। इसलिए राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज को हटाया जाकर दुरूस्ती कराने व 1/3 हिस्से से विभाजन कराने का अधिकारी है । इस संबध में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने भैरू आत्मज रूपा द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड गोदनामे की सत्य फोटो प्रति प्रस्तुत की जो प्रदर्श 1 है । जिसके अनुसार गोदकर्ता भैरू आत्मज रूपा दरोगा निवासी पीथास ने अपने भतीजे काना पिता छगना दरोगा के लडके भॅवर लाल को गोद लेना अंकित कराया है। उक्त गोदनामे का पंजीयन दिनांक 29.10.1991 को किया गया है। जो कि भैरू आत्मज रूपा गोदकर्ता का भतीजा है। उक्त गोदनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसके खण्डन में अपीलार्थी द्वारा एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा कोई ठोस साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत नहीं की है। अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा में भी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रजिस्टर्ड गोदनामे का खण्डन होता हो। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

17. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.3.2001 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.9.2005 को यथावत रखा जाता है। ।पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

18. निर्णय आज दिनांक 9.5.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 129 / 2013

उनवान

1. गोरधन पिता भागु दरोगा, निवसी पीथास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. भॅवर लाल पिता काना गोदपुत्र भैरू दरोगा निवासी पीथास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. श्रीमती चांदी विधवा रामचन्द्र दरोगा निवासी पीथास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. श्रीमती भागुती पत्नी गोपाल दरोगा निवासी पीथास हाल मुकाम मालोला तहसील व जिला भीलवाडा
4. सोनू पिता स्व0 गोपाल दरोगा आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता भागुती पत्नी स्व0 गोपाल दरागा निवासी पीथास हाल मुकाम मालोला तहसील व जिला भीलवाडा
5. सुरज पिता गोपाल दरोगा आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता भागुती पत्नी स्व0 गोपाल दरागा निवासी पीथास हाल मुकाम मालोला तहसील व जिला भीलवाडा
6. रेणु पुत्री गोपाल दरोगा आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता भागुती पत्नी स्व0 गोपाल दरागा निवासी पीथास हाल मुकाम मालोला तहसील व जिला भीलवाडा
7. शम्भू पिता रामचन्द्र दरोगा निवासी पीथास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
8. सत्यनारायण पिता काना दरोगा निवासी पीथास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
9. लादु पिता छगना दरोगा निवासी पीथास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के
प्रकरण संख्या 141/97 दिनांक 19.3.2001 एवं संशोधित
निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.9.2005 प्रकरण संख्या 102/2005

अभिभाषक : 1. श्री एम एल सेन , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री ओम प्रकाश पटवारी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

अपील में डिक्री
(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/129/2013** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डल** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड्रिकी जारी की जाती हैं:—

यह अपील तारीख 9.5.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री एम एल सेन वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से श्री ओम प्रकाश पटवारी की उपस्थिति मे दिनांक 9.5.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :—

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.3.2001 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.9.2005 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 9.5.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

9/5/18
(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोंडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस